न्यायालयः—सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड़ अधिकारी रायपुर (ब्यावर)
पीठासीन अधिकारी :—श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 54/2024
प्रकरण दर्ज तिथि :— 22.04.2024
जीसीएमएस नम्बर :— 2024/99

1. राजेश कुमार चौहान पुत्र श्री ओमप्रकाश चौहान, उम्र— 52 वर्ष, जाति ढोली निवासी रायपुर जिला ब्यावर राज.
2. दिनेश कुमार चौहान पुत्र श्री ओम प्रकाश चौहान, उम्र—43 वर्ष, जाति ढोली निवासी रायपुर जिला ब्यावर राज. **वादीगण**

बनाम

1. कुनादेवी पुत्री अमरचन्द, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास
2. खेताराम पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास
3. गजरादेवी पत्नि श्री अमरचन्द, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास
4. घेवरचन्द पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास
5. चुतराराम पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास
6. जमनादेवी पुत्री श्री अमरचन्द, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास
7. धर्माराम पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास
8. बाबुलाल पुत्र श्री पोकरजी, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास
9. राजुराम पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र—वयस्क, जाति बावरी, निवासी दीपावास तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
10. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित 1 श्री जसवंत सिंह सांखला अधिवक्ता वादी
2 श्री भागीरथ तैली एवं श्री मनीष साहू प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या (03, 05, 07 से 09) एवं शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित

निर्णय **दिनांकः 13.01.2025**

वादी की ओर से वकील श्री जसवंत सिंह सांखला द्वारा दावा बाबत् बंटवाड़ा एंव स्थाई निषेधाज्ञा वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 188 राज. काश्त. अधि. के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में पेश किया गया है। वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण यह है कि सरहद मौजा दीपावास, पटवार हल्का दीपावास, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2075—2078 के खाता सं. 62 खसरा सं. 64/444 रक्बा 3.2375 हैक्टेयर किस्म चाही चारम शामलाती खातेदारी भुमि आई हुई है। उपरोक्त वर्णीत आराजीयात को आगे वादपत्र में वादग्रस्त आराजियात के नाम से सम्बोधित किया जाएगा, तथा वादपत्र के साथ जमाबन्दी सवंत 2075— 2078 की प्रमाणित प्रति, नक्शा ट्रेश की प्रति तथा नजरी नक्शा पेश किया जा रहा हैं, जिसे वादपत्र का आवश्यक भाग के रूप में पढा जावें। उपरोक्त वर्णीत सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजीयात मे वादीगण के माताजी ने 1/2 वा हिस्से की भुमि को खरीद किया था व खातेदारी हक प्राप्त किये थे। जिस पर वादीगण के माताजी ने खरीद दिनांक से मौके पर नजरी नक्शे अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादीगण के माताजी का देहान्त होने से वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद हुआ एंव वर्तमान मे वो मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। राजस्व रेकर्ड अनुसार विवादित भुमि मे प्रत्येक वादीगण का 1/4— 1/4 वा हिस्सा बनता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 9 का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार हिस्सा बनता है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मोके पर नजरी नक्शा अनुसार मौखिक बटवाडा होकर भुमि मौके पर बॅटी हुई है एवं मौके पर कब्जा चला आ रहा है। उक्त कब्जा वादीगण के माताजी के द्वारा खरीद दिंनाक से चला आ रहा है। जो बिना किसी अवरोध बाधा के चला आ रहा है। विवादित भुमि वादीगण एंव प्रतिवादीगण 1 से लगायत 9 तक की सम्पुर्ण भुमि एक खाते के रूप मे शामलाती दर्ज है व नक्शा ट्रेस में भी सम्पुर्ण भुमि एक जोत दर्शाई गयी है नजरी नक्शे व मोके के कब्जे व काश्त के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे अलग अलग तरमीन नहीं की हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण मे अलग अलग तरमीन नही होने के कारण कृषि कनेक्शन लेने मे, उपजाउ बनाने मे, अन्य सरकारी लाभ लेने के लिए भारी समस्या का सामना करना पडता है। वादीगण के द्वारा 12/04/2024 को प्रतिवादीगण से नजरी नक्शे अनुसार व मौके पर काबिज अनुसार बटवॉडा करने का निवेदन करने एवं उनके द्वारा बॅटवाडा करने से मना करने के कारण उत्पन्न हुआ एवं वादीगण ज्यादा विवाद से बचने के लिए वाद लाना हि उचित रास्ता होने से वाद का कारण उत्पन्न हुआ। इसलिए उक्त वाद पत्र बॅटवाडा का पेश किया जा रहा है। वादीगण ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (ब्यावर)

लगायत 9 एवं उनके वारिशानों से निवेदन किया कि वादपत्र के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजी को अपने–अपने हिस्से अनुसार बँटवारा करवा लेवें, लेकिन प्रतिवादीगण वादीगण की खाद डाल कर उपजाउ बनाई कृषि भुमि मे नाजायज कब्जा करने की बदनियती रखते हैं। इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 वादीगण के हिस्से की भूमि पर कब्जा कर वादग्रस्त आराजी मे वादीगण की उपजाउ आराजी मे से वादीगण को बेदखल करने पर आमादा रहते है। वादीगण के द्वारा पूर्व मे बार–बार बँटवारा करने की बात कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा मानने के पश्चात् मना कर दिया एवं अन्तिम बार दिनांक 12/04/2024 को वादी सं. 2 के द्वारा बँटवाडा करने का निवेदन करने व उनके द्वारा मना कर दिया गया जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है वादीगण अपनी भुमि को नजरी नक्शे अनुसार मौके पर कब्जे अनुसार तकास्मा करवाने का अधिकारी है इसलिए दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण पेश है। वाद तकास्मा आराजी वादीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त व हिस्से की वादग्रस्त भुमि का उपयोग उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करने का अधिकारी है एवं वादीगण की माता को जरिये रजिस्ट्री खरीद कर अपना कब्जा भी कर लिया है एवं उनके देहान्त होने पर वादीगण का कब्जा काश्त होने पर एवं वादीगण द्वारा अपनी भुमि को खाद डाल व रूप्ये लगाकर उपजाउ बनाया है। प्रतिवादीगण को वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त खातेदारी की भुमि में किसी प्रकार की दंखलअदाजी, बाधा पैदा करने का कोई कानुनी अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को अपुर्णीय क्षति होगी प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को बार बार दिवानी फौजदारी मुकदमें करने पडेंगे, जिससे मल्टी प्लीसिटी आफॅ प्रोसिडिंग्स होगी, इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध मौके पर कब्जे अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के तकास्मा कर नक्शा तरमीम करवा कर खातेदारी अलग–अलग अपने–अपने हिस्से अनुसार, लगान अलग करवाने के लिये बँटवाडा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु उपरोक्त वाद प्रस्तुत कर रहा है। बिनायदावा दिंनाक 12.04.2024 को वादी सं. 2 के द्वारा प्रतिवादीगण को वादीगण के हिस्से की भुमि का नजरी नक्शे अनुसार तकास्मा करने का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादीगण को अपने हिस्से की भुमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम दीपावास मे पैदा हुआ, जो अन्दर मयाद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के है । उपरोक्त तमाम तथ्यों एवं परिस्थितियों में वादीगण का मुकदमा उनके हक में प्रथमदृष्टया साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु भी वादीगण के हक में है। विवादित भुमि मे प्रतिवादी 1 से लगायत 9 तक वादग्रस्त आराजियात में संयुक्त खातेदार होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादीगण सं. 10 राजस्थान सरकार जरिये भू धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाये गये हैं जिनको कि वाद दायरी से पूर्व अंतर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी के सूचना दिया जाना आवश्यक होता है, लेकिन चूंकि प्रस्तुत वाद एक अतिआवश्यक प्रकृति का होने के कारण नोटिस देकर दो माह का इंतजार करने तक वादीगण के मौजूदा वाद का मकसद ही विफल हो जायेगा और प्रतिवादीगण वादीगण की आराजियात को बेदखल कर देंगे। अतः नोटिस से छूट दिये जाने हेतु अलग से धारा 80(2) जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादीगण को वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की जा रही है। सरहद मौजा दीपावास, पटवार हल्का दीपावास, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, तहसील रायपुर जिला ब्यावर (राज) की जमाबन्दी सवत् 2075–2078 के खाता सं. 62 खसरा सं. 64/444 रक्बा 3.2375 हैक्टेयर किस्म चाही चारम शामलाती खातेदारी कृषि भुमि आई हुई है। राजस्व रेकर्ड अनुसार विवादित भुमि मे प्रत्येक वादीगण का 1/4– 1/4 वा हिस्सा बनता है। तथा प्रतिवादीगण सं. 1 से लगायत 9 का राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार हिस्सा बनता है। मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हिस्से अनुसार मोके पर नजरी नक्शा अनुसार मोखिक बटवाडा होकर भुमि मौके पर बँटी हुई है एवं मौके पर कब्जा चला आ रहा है। वादी के कब्जे व नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बांटी जाकर तकास्मा किया जावे व वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि नजरी नक्शे अनुसार राजस्व रेकर्ड मे बटवाडा किया जाकर अलग अलग खाता दर्ज किया जावे व अलग खसरा अनुसार बांटकर खसरे मे बटा नम्बर लगाकर अलग दर्शाई जावे, लगान बांटा जावे एवं लट्टे नक्शे मे तरमीम की जावे व नजरी नक्शे अनुसार तकास्मा आराजी की डिक्रि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावें । वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं उनके परिवारजन, रिश्तेदारान, यार, दोस्त, नौकर चाकर, एजेंट, मुखत्यार, मजूदर, मिस्त्री, हाली, असाईनीज अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो वे वाद के पद नंबर 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के हक, हिस्से, कब्जे, अधिकार, काष्त आदि में किसी तरह की कोई दखलअंदाजी नहीं करे, ना ही कोई बाधा अथवा अडचन उत्पन्न करे, और ना ही वादी को उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करे, ना ही ऐसा कोई कार्य व/या कृत्य नहीं करे कि जिससे वादी

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
रायपुर (ब्यावर)

द्वारा अपने हिस्से की भूमि में किये जा रहे उपयोग, उपभोग, हक, अधिकार, कब्जे, काश्त, आदि में कोई बाधा व/या अडचन व/या अवरोध उत्पन्न होते हो।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01,02,04,06, की सम्मन तामिली होने के पश्चात् भी पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण अनुपस्थित इसीलिए इन प्रतिवादीगण, अवसर देने के बावजूद भी अनुपस्थित होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण संख्या 03,05, 07 से 09 की ओर से श्री भागीरथ तैली एवं श्री मनीष साहू अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया है जो संलग्न किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता ने वादपत्र पर जबाव नहीं देना चाहते। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वादपत्र पर साक्ष्यवादी प्रस्तुत नही करना चाहते। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उपरोक्त खसरा नम्बर पर बन्टवाडा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा की प्राथमिक डिकी जारी कर बंटवाडा किया जावें। इस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने अपनी सहमति प्रदान की हैं।

प्राथमिक डिकी के आदेश की पालना में तहसीलदार रायपुर के पत्र कमांक/कोर्ट/2024/2142 दिनांक 20.12..2024 द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा प्राप्त हुआ हैं। अधिवक्तागण ने तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव अवलोकन किया गया हैं। अधिवक्तागण ने बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिकी जारी करने में अपनी सहमति प्रदान की हैं। बंटवाडा प्रस्ताव पर बहस समायत की गई। उभयपक्ष बहस, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाडा प्रस्ताव तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के मनन व अवलोकन के पश्चात् उक्त वादपत्र में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

आदेश

वादी का वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा दीपावास, पटवार हल्का दीपावास, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, के खसरा सं. 64/444 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म चाही चारम में तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिकी पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिकी पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को भेजी जावें।

गुलाब सिंह

(गुलाब सिंह वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

यह निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

गुलाब सिंह

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, रायपुर (ब्यावर)

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "d" –1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला ब्यावर

बईजलास :– श्री गुलाब सिंह वर्मा आर.ए.एस.

1. राजेश कुमार चौहान पुत्र श्री ओमप्रकाश चौहान, उम्र– 52 वर्ष, जाति ढोली निवासी रायपुर जिला ब्यावर राज.
2. दिनेश कुमार चौहान पुत्र श्री ओम प्रकाश चौहान, उम्र–43 वर्ष, जाति ढोली निवासी रायपुर जिला ब्यावर राज.

वादीगण

बनाम

1. कुनादेवी पुत्री अमरचन्द, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास
2. खेताराम पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास
3. गजरादेवी पत्नि श्री अमरचन्द, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास
4. घेवरचन्द पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास
5. चुतराराम पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास
6. जमनादेवी पुत्री श्री अमरचन्द, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास
7. धर्माराम पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास
8. बाबुलाल पुत्र श्री पोकरजी, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास
9. राजुराम पुत्र श्री अमरचन्द, उम्र–वयस्क, जाति वावरी, निवासी दीपावास तहसील रायपुर जिला ब्यावर राज.
10. राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, रायपुर, **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा एंव बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53 'एवं 188 राज. टि.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतईरूवरू हमारे व हाजरी श्री जसवंत सिंह सांखला वादी
मिनजानिब मुदईव हाजरी श्री भागीरथ तैली एवं श्री मनीष साहू प्रतिवादी अधिवक्ता संख्या (03, 05, 07 से 09) एवं
शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है अतः वादी का दावा बहक
वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर उक्त वादपत्र में सरहद मौजा दीपावास, पटवार हल्का
दीपावास, भू. अभि. निरिक्षक क्षैत्र रायपुर, के खसरा सं. 64/444 रकबा 3.2375 हैक्टेयर किस्म चाही चारम में
तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा अनुसार बंटवाडा की अन्तिम डिक्री जारी करने के
आदेश दिये जाते हैं। बंटवाडा प्रस्ताव के संलग्न, तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा
इस निर्णय का आवश्यक भाग रहेगा। वादी की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त के मुताबिक अन्य कार्य में
दखलन्दाजी से प्रतिवादीगण उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट सगे संबंधी मित्र अथवा जो कोई भी हो को जरिये
स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता है। तदानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावें। तहसीलदार रायपुर को आदेश दिया जाता
हैं कि नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा एंव बंटवाड़ा प्रस्ताव के
संलग्न नजरी नक्शा तहसीलदार रायपुर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति पालनार्थ तहसीलदार
रायपुर को भेजी जावें।

नीज...................... ....मुबलिक............... ....बाबत्............ .... खर्चा इस मुकदमें मय
सूद व शहर ....फीस सदी सालाना आज तारीख वसूल याबी तक ....
......................को अदा करे।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.01.2025 को जारी किया गया।

(गुलाब सिंह वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी, रायपुर (ब्यावर)

मुद्दई		रूपया	पै.	मुद्दयलह		रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीनामा	–	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	–	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	–	04	00	स्टाम्प हाजरी	–		
स्टाम्प वजह सबूत	–	00	00	मेहनताना वकील पर	–		
मेहनताना वकील	–	.		खर्चा गवाहान	–		
खर्चा गवाहान	–			फीस कमिश्नर	–		
फीस कमिश्नर	–			बाबत इजराय हुक्मनामा	–		
बाबत इजराय हुक्मनामा	–			मुतफरिक	–	00	00
मुतफरिक	–	6	00	मीजान			
मीजान		12	00			02	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो नही दर्ज किया जावें।